

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 105]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 मार्च 2013—फाल्गुन 24, शक 1934

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2013

क्र. एफ-2(अ)156-2012-बी-4-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1997 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 6 में, उप-नियम (8) में,—

(एक) खण्ड (दो) में, उप-खण्ड (ग) में, विद्यमान टिप्पणी के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पणी स्थापित की जाए, अर्थात्:—

टिप्पणी.—खण्ड (2) के उप-खण्ड (क) तथा (ख) के अधीन लिखित परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य है.

प्रथम चरण की लिखित परीक्षा में अभिप्राप्त किए गए अंकों के आधार पर, गैर तकनीकी पदों [सूबेदार, प्लाटून कमाण्डर, उप निरीक्षक (जिला कार्यपालिक बल/विशेष शाखा) के लिए एक तथा तकनीकी पदों [उप निरीक्षक-रेडियो/अंगुली चिन्ह (छाप)/प्रश्नगत दस्तावेज/फोटो] के लिए अन्य पृथक् गुणागुण सूचियां तैयार की जाएगी जिसमें द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए, विज्ञापित रिक्त पदों की संख्या के पांच गुना संख्या में अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा. अंतिम अभ्यर्थी को जिस पर पांच गुना संख्या पूर्ण होती है तथा वे समस्त अभ्यर्थी, जिन्होंने इस अभ्यर्थी से अधिक या बराबर अंक अभिप्राप्त किए हों, नियत की गई पांच गुना संख्या पर विचार में लाए बिना

द्वितीय चरण में प्रवेश दिया जाएगा। चूंकि योग्य अभ्यर्थी दोनों ही प्रकार के पदों के लिये अधिमान दे सकते हैं, अतएव यदि कोई अभ्यर्थी गुणागुण सूची के आधार पर गैर तकनीकी पदों की सूची में होते हुए भी तकनीकी पदों की सूची के लिये भी पात्र होता है तो तकनीकी पदों की सूची में ऐसे अभ्यर्थियों के नाम सम्मिलित होंगे, परन्तु तकनीकी पदों की सूची हेतु पांच गुनी संख्या की संगणना करते समय ऐसे अभ्यर्थियों की गणना नहीं की जाएगी.”;

(दो) खण्ड (तीन) तथा (चार) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

“(तीन) शारीरिक दक्षता परीक्षण—यह परीक्षण (टेस्ट) समस्त अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। यह परीक्षण अर्हकारी प्रकृति का होगा, इस परीक्षण के लिए कोई अंक नहीं होंगे तथा इस परीक्षण में केवल एक मद् 800 मीटर दौड़ सम्मिलित होगी। अर्हकारी 800 मीटर दौड़ के लिए विहित समय-सीमा अनुसूची पांच में विनिर्दिष्ट है।

(चार) व्यक्तिगत साक्षात्कार 10 अंकों का होगा.”

2. नियम 8 में, उप नियम (एक) में, टिप्पणी (2) के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पणी अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(3) खण्ड (ड), (च) या (छ) में वर्णित छूट प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की गई है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास प्रोत्साहन में दिए अनुसार अधिकतम आयु सीमा में शिथिलीकरण के लिए एक से अधिक आधार हैं, तो जो उसे उच्चतर आयु सीमा में सर्वोच्च फायदा देता है किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। प्रोत्साहन स्वरूप उपलब्ध यह शिथिलीकरण, उपखण्ड (ग), (घ), (ज) तथा (झ) में उपलब्ध शिथिलीकरण के अतिरिक्त होगा। सभी वर्गों में उच्चतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी.”

3. नियम 11 में, उप नियम (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“(7) महिलाओं के लिये 30 प्रतिशत आरक्षण समस्तरीय (हारीजोण्टल) तथा श्रेणीवार (कम्पार्टमेंट वाइज) होगा। 30 प्रतिशत महिलाएं यदि चयन सूची में मेरिट पर आ जाती हैं तो आगे आरक्षण नहीं दिया जाएगा। पात्र महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उनके लिए आरक्षित पद अग्रणीत नहीं किए जाएंगे और ऐसी परिस्थिति में यह पद उसी श्रेणी के अन्य उपलब्ध अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे।

(8) मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1985 के अनुसार 10 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जाएंगे। यह आरक्षण समस्तरीय (हारीजोण्टल) तथा श्रेणीवार (कम्पार्टमेंट वाइज) होगा। यदि चयन सूची में 10 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक मेरिट के आधार पर स्थान प्राप्त कर लेते हैं तो और आरक्षण नहीं दिया जाएगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद अग्रणीत नहीं किए जाएंगे यदि पात्र भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं और ऐसी परिस्थिति के अधीन ये पद उसी जाति प्रवर्ग के पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएंगे.”

4. नियम 13क का लोप किया जाए.

5. अनुसूची तीन में, टिप्पणी में,—

(एक) शब्द और अक्षर “एन.सी.सी. ‘सी’ प्रमाण-पत्र धारक और एल.एल.बी. की डिग्री धारक अभ्यर्थियों को प्रत्येक के लिए 5 बोनस अंक दिए जाएंगे” का लोप किया जाए;

(दो) अनुक्रमांक (3) के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:—

“(4) मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1985 के नियम 2-क के अनुसार तृतीय श्रेणी के पदों पर आरक्षित रिक्त में नियुक्ति के लिए

ऐसा भूतपूर्व सैनिक (जिस पद के अन्तर्गत वह भूतपूर्व सैनिक भी आता है, जिसने भारतीय सेना शिक्षा का विशेष प्रमाण-पत्र या नौ सेना या वायु सेना का तत्स्थानी कोई प्रमाण-पत्र अभिप्रात किया है) जिसने सशस्त्र बलों में 15 वर्ष से अन्यून सेवा की हो, ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने का पात्र हो सकेगा जिसके लिए विहित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता स्नातक है.

6. विद्यमान अनुसूची पांच के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :-

“अनुसूची पांच
[नियम 6(8) देखिए]

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी (2)	800 मीटर दौड़ अर्हित करने हेतु अनुज्ञात अधिकतम समय (3)
1.	पुरुष	2 मिनट 40 सेकंड
2.	महिला	3 मिनट 30 सेकंड
3.	भूतपूर्व सैनिक	3 मिनट 15 सेकंड.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सीमा शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2013

क्र. एफ-2(अ)156-2013-बी-4-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के खण्ड (अ) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15 मार्च 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सीमा शर्मा, सचिव.

Bhopal, the 15th March 2013

No. 2(a) 156-2012-B-4-II.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Police Executive (Non-Gazetted) Service Recruitment Rules, 1997, namely:—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In rule 6, in sub-rule (8),—

(i) in clause (ii), in sub-clause (c), for the existing note, the following note shall be substituted, namely:—

Note.—Written examination under sub-clause (a) and (b) of clause (ii) is compulsory for all candidates.

On the basis of the marks obtained in the written examination of the first stage, separate merit lists, one for non-technical posts [Subedar, Platoon Commander, Sub-Inspector (District Executive Force/Special Branch)] and another for technical posts (Sub-Inspector-Radio/Finger Print/Questioned Documents/Photo)] shall be prepared in which the candidates numbering five times the number of vacant posts advertised shall be called for examination of second stage. Last

candidate, on whom five times number is completed and all those candidates who obtained more than or equal marks to this candidate shall be admitted to the second stage irrespective of the number exceeding the stipulated five times number. Since eligible candidates may give preferences for both types of posts, therefore if any candidate qualifies for list of technical post also as well as being in the list of non-technical posts on the basis of merit, then names of such candidates will be included in the list of technical post but the number of such candidates will not be counted at the time of computing five times number for the list of technical posts.”;

(ii) for clause (iii) and (iv), the following clauses shall be substituted, namely:—

“(iii) Physical Proficiency Test.—This test is compulsory for all candidates. This test will be of qualifying nature, there will not be any marks for this test and only one item of 800 metre run will be included in this test. Time limit prescribed for qualifying 800 metre run are specified in Schedule-V.

(iv) Personal Interview shall be of 10 marks.”.

2. In rule 8, in clause (i), after Note (2), the following Note shall be inserted, namely:—

“(3) The relaxation described in clause (e), (f) or (g) are given for motivation. If any candidate has more than one basis of relaxation in the maximum age limit being given as motivation, then he shall be allowed to avail any one basis (of motivation) which imparts highest benefit in the maximum age limit. This relaxation available as motivation will be in addition to the relaxation available in sub-clauses (c), (d), (h) and (i). The maximum age limit in all classes shall not be more than 45 years.”.

3. In rule 11, after sub-rule (6), the following sub-rules shall be added, namely:—

“(7) 30% reservation for women shall be horizontal and compartment wise. If 30% women find place in the select list on merit, then further reservation will not be given. The posts reserved for women shall not be carried forward if eligible women candidates are not available and under such circumstances. These posts will be filled up from other available candidates of some category.

(8) 10% posts shall be reserved for Ex-servicemen candidates according to the Madhya Pradesh Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the State Civil Services and Posts Class III and Class IV) Rules, 1985. This reservation shall be horizontal and compartment wise. If 10% Ex-servicemen find place in the select list on merit, then further reservation will not be given. The post reserved of Ex-servicemen shall not be carried forward if eligible Ex-servicemen candidates are not available and under such circumstances these posts will be filled up by the eligible candidates of same caste category.”.

4. Rule 13A shall be omitted.

5. In Schedule III, in the Note,—

(i) Words and figure “Holders of NCC “c” certificate and candidates with LL.B Degree shall be given bonus 5 marks for each” shall be omitted;

(ii) after serial number (3), the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely:—

“(4) According to rule 2-a of the Madhya Pradesh Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the State Civil Services and Posts Class III and Class IV) Rules, 1985 for appointments to any reserved vacancy in Class III posts, a Ex-servicemen (which term includes an Ex-servicemen, who has obtained the Indian Army Special Certificate of education or the corresponding certificate in the navy or the Air Force), who has put in not less than 15 years of services in the Armed Forces may be considered eligible for appointment to the posts for which essential qualification prescribed in graduation.

6. For the existing Schedule V, the following Schedule shall be substituted, namely:—

“SCHEDULE-V
[See rule 6(8)]

S. No. (1)	Candidates (2)	Maximum time allowed for qualifying 800 metre run (3)
1.	Male	2 minutes 40 seconds
2.	Female	3 minutes 30 seconds
3.	Ex-servicemen	3 minutes 15 seconds.”.

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh
SEEMA SHARMA, Secy.